

New Okhla Industrial development Authority
Main Administrative Building, Sector-06, Noida-201301, Uttar Pradesh
Completion Certificate

Date :- Jun 14 2024

From,

The Chief Executive Officer
New Okhla Industrial Development Authority
Noida, Uttar Pradesh

To,

E HOMES INFRASTRUCTURE PVT LTD
GH :- 14 , Sector:- 75
Ref No. :- 231027004
Council of Architecture Registration No. :- CA/2015/72146

I hereby certify that the erection/ re-erection/ alternation / demolition of building on plot number GH - 14 in Sector 75, Noida completed under the supervision of Architect Name Mohammed Azhar has been inspected by the officers of the Authority and declare that the building confirms in all respects to the requirements of the regulations in respect of occupancy. Structural safety based upon the structural stability certificate and the completion certificate submitted by the concerned Technical Person for fire safety, hygienic and sanitary conditions inside and the surrounding and is fit for occupation.

This occupancy letter has been issued on the basis of the investigation done by the authority on Jun 14 2024. If Allottee make any kind of change(s)/construction against Noida Building Regulation and Direction/Building Regulation after the date of Plot/building inspection then removal proceeding will be required against such construction under section 10 of U.P INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT ACT. In case of any expand in plot/building according to the rules of Noida Building Regulation and Direction/Building Regulation in future, separate map approval and occupancy letter as per the rules will be mandatory and its complete liability will be given to related allottee.

Note 1): Provision for car parking shall have to made inside the premises for allottee & Guest.

- 2): Under any Circumstances no vehicle parking shall be allowed on the adjoining road.
- 3): It is expected that Electric Vehicle Charging Facility shall be provided for at least 20% of required ECS (Equivalent Car Space).
- 4): Provision for LPG/PNG gas leakage detector should be made in kitchens.
- 5): The conditions mentioned in the sanctioned letter dated 05-11-2018 issued by NOIDA Authority shall be strictly followed.
6. माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र 375 एवं 454 वर्ष, 2015 परमवीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं आनन्द आर्या बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में ओखला पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन के निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अनुपालन हेतु आबंटी संस्था बाध्य है। यह अधिभोग प्रमाण पत्र माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अन्तिम पारित किये जाने वाले आदेश के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।
7. नौएडा भवन विनियमावली 2010, उ०प्र० अपार्टमेंट एक्ट 2010, पर्यावरण विभाग / माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा अन्य सम्बन्धित राज्य व केन्द्र सरकार के लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों विनियमों/निर्देशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रभावी) का अनुपालन आबंटी संस्था पर बाध्यकारी होगा।
8. अधिभोग प्रमाण पत्र एवं समापन मानचित्रों में दर्शायी गयी मापें क्षेत्रफल, पार्किंग, हरित क्षेत्रफल, सुविधाएँ तथा सेवाओं को योजना के पूर्व में स्वीकृति/ पुनरीक्षित के सापेक्ष प्राधिकरण की बिना पूर्व अनुमति के स्थल पर किसी प्रकार का परिवर्तन / परिवर्धन/संशोधन आदि किया जाना अनाधिकृत माना जायेगा तथा उसको ध्वस्त कर हटाये जाने की विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

9. संदर्भित योजना में अग्निशमन, लिफ्ट संचालन, वर्षा जल संचालन प्रणाली, जल संरक्षण व रिसाइकिलिंग, लैण्डस्केप हरित क्षेत्र / खुला क्षेत्र/ वृक्षारोपण, सीवरेज सिस्टम, कूड़ा एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, पर्यावरणीय एवं प्रदूषण सम्बन्धी व्यवस्था व प्रणालियों आदि का रखरखाव व संचालन गुणवत्तापूर्वक करने के साथ हमेशा कार्यशील स्थिति में रखा जाना अनिवार्य होगा तथा इसके निमित्त प्राप्त किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्रों में अंकित निर्देशों / शर्तों एवं प्रतिबन्धों आदि का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवंटी संस्था पूर्णतया बाध्यकारी होगी ।
10. यह अधिभोग प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ जारी किया जाता है कि ग्रीन बिल्डिंग हेतु 5% निःशुल्क अतिरिक्त एफ०ए०आर० प्रदान करने के क्रम में नौएडा भवन विनियमावली, 2010 के प्राविधानों के अनुसार आई०जी०बी०सी० द्वारा जारी किया गया ग्रीन बिल्डिंग (गोल्ड) प्रमाण को बिल्डर द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराकर प्राधिकरण में जमा कराना होगा, ऐसा न करने की दशा में तत्समय प्रभावी क्रय योग्य एफ०ए०आर० के देय शुल्क का 200% जमा कराना होगा। यद्यपि बिल्डर द्वारा प्लैट की सब-लीज निष्पादित कर दी गयी हो ऐसी दशा में भी बिल्डर शुल्क जमा करने हेतु बाध्य होगा ।
11. यह अधिभोग प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है कि भविष्य में यदि क्रेता द्वारा मानचित्र में बदलाव या किन्ही अन्य कारणों से असहमति व्यक्त की जाती है तो आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।
12. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का संचालन परिसर के अन्दर सुचारू रूप से करना होगा ।
13. इन्टरनेट सेवाओं हेतु आन्तरिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करना होगा ।
14. आवंटी संस्था को अधिभोग जारी होने से 60 दिन के अन्दर सी०टी०ओ० जमा कराना होगा अन्यथा प्राधिकरण द्वारा आवंटी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

Plot Area : 20000.00 Sq. Mtr.

Permissible Ground Coverage : 7000.00 Sq. Mtr.

Permissible F.A.R. : 83500.00 Sq. Mtr.

Existing Ground Coverage. : 5183.57 Sq. Mtr.

Existing F.A.R. : 22568.447 Sq. Mtr.

Existing Total F.A.R. : 83477.551 Sq. Mtr.

Existing Non F.A.R. : 29824.834 Sq. Mtr.

Existing Service Area : 10462.246 Sq. Mtr.

Total Built Up Area : 123764.83 Sq. Mtr.